भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 163

02 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया'

163. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस्पात के आयात को कम करने और स्वदेशी इस्पात कंपनियों के माध्यम से इस्पात निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)

(क) और (ख): इस्पात क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा इस्पात के आयात को कम करने और इस्पात के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. सरकार ने इस्पात क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से घरेलू निर्मित लौह एवं इस्पात उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु नीति को अधिसूचित किया है। इस नीति के अंतर्गत, सरकारी मंत्रालयो/विभागों और उनकी एजेंसियों से निर्धारित न्यूनतम घरेलू मूल्यवर्धन मानदंडों के अनुसार अनिवार्य रूप से घरेलू निर्माताओं के माध्यम से अधिसूचित इस्पात उत्पादों को खरीदना अपेक्षित है।

ii. 6,322 करोड़ रु के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया गया है। इस योजना में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियों

को देश में विशेष इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

iii. सरकार नें 145 भारतीय इस्पात मानकों को इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत अधिसूचित किया है जोकि घरेलू उत्पादनों के साथ-साथ आयातों, दोनों पर लागू है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को मनुष्य, जीव-जन्तुओं एवं पेड़-पौधो के बचाव, पर्यावरण की सुरक्षा, अनुचित व्यापारिक पद्धतियां की रोकथाम और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु लोक हित में कार्यान्वित किया जाता है।

iv. घरेलू उद्योगों को अनुचित बाह्य प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु उपयुक्त व्यापारिक उपायों जैसे कि पाटन-रोधी शुल्कों एवं प्रतिकारी शुल्कों को भी लगाया गया है।

****